

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 69/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/106

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

पुंजाराम पुत्र खेताराम

जाति मेगवाल

निवासी रूपादेवी, दुधवा हाल

निवासी मिठियातला तहसील बायतु

जिला बालोतरा

1. भटाराम पुत्र राणाराम
2. गेनाराम पुत्र राणाराम
3. शांति पुत्री राणाराम
4. केशी पत्नि राणाराम
5. मुकनाराम पुत्र पांचाराम
6. कुनणी पत्नि भगाराम
7. खुमाराम पुत्र भगाराम
8. ताराराम पुत्र भगाराम
9. नेनाराम पुत्र भगाराम
10. पुजाराम पुत्र अचलाराम
11. प्रेमराम पुत्र अचलाराम
12. रूखमों पत्नि अचलाराम
13. नाबालिग इन्द्राराम पुत्र अचलाराम  
कुदरती वली माता रूखमो
14. अणसी पत्नि खुमाराम
15. गीगी पत्नि ताराराम
16. गोबरराम पुत्र चौथाराम
17. धुड़ाराम पुत्र भुराराम
18. हरजीराम पुत्र भुराराम
19. जतु पत्नि भुराराम
20. मगाराम पुत्र मोटाराम
21. रूखमों पत्नि अचलाराम
22. वरजु पत्नि नैनाराम जाति मेगवाल  
निवासी रूपादेवी, दुधवा तहसील  
पचपदरा जिला बालोतरा
23. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा व जिला बालोतरा



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री प्रेमराज पंवार अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय


आदेश

दिनांक 27/10/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 444/328 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 444/328 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर, भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3 हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 444/328 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर, भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील

  
उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

पचपदरा की खेत खसरा संख्या 444/328 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रूपादेवी पटवार हल्का दुधवा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 444/328 क्षेत्रफल 8.0937 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार होने के कारण विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर सेढा पड़ौसीयो मे सीमा विवाद होना बताकर विवादित भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा-सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट प्रति पेश नहीं की गई, जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद हो, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं, लेकिन हस्तगत प्रकरण में राहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी विवादित भूमि की सीमाज्ञान करवाने के बाद नेखमबन्दी आवेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।



आदेश आज दिनांक 27/10/25 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार) 27/10/25  
उपखण्ड अधिकारी  
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा 27/10/25